

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-32 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. किसन निषाद पुत्र बाबू राम निषाद नि० जयतपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-334/20, 02. कल्लू पुत्र सीताराम नि० छोटा दरवाजा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-336/20, 03. इन्दल यादव पुत्र त्रिभुवन यादव नि० दुर्गागंज माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-337/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दीपक कुमार पुत्र राम लाल नि० ऐलनपुर ग्रन्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-409/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संजय पुत्र प्रेमनाथ नि० कुम्हारन थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-456/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रंजीत कुमार पुत्र स्व० भूसैली नि० रानीपुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-848/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना को० मनकापुर पुलिस ने नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त विकास कुमार गिरि उर्फ बल्लू पुत्र रुद्रनाथ गिरि नि० ग्राम पूरे देवनाथ मौजा असरफपुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना को० मनकापुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-397/20, धारा 354.504.506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 25.10.2020 को थाना को० मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड किया था विरोध करने पर गाली-गुप्ता देते हुए

जान से मारने की धमकी दी थी जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना को० मनकापुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को० मनकापुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

बलवा करने के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. विरेन्द्र कुमार पुत्र प्रभुनाथ नि० कर्मडीह मौजा बीरेपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
02. रामललित कुमार पुत्र प्रभुनाथ नि० कर्मडीह मौजा बीरेपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-274/20, धारा 147.148.149.323.336.447.504.506 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 02.11.2020 को रास्ते के विवाद को लेकर वादी राजाराम वर्मा पुत्र अलखराम वर्मा नि० कर्मडीह मौजा बीरेपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा व वादी के परिजनों को गाली-गुप्ता देते हुए लाठी-डण्डा, फरसा से मारा-पीटा था तथा वादी के छप्पर को जला दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना मोतीगंज पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें मोतीगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।